दूरभाष / Telephon: 011-26185097
फैक्स / Fax: 011-26185097

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय / Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066
www.epfiindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

संख्या: हि.अ.8 (7) 11/ पखवाड़ा / 13190 दिनांक 12 सितम्बर SEP 2011

सेवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (राज्य)
निदेशक, नाटरस,
सभी क्षेत्रीय भवष्यि निधि आयुक्त ।
सभी प्रभारी अधिकारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय ।
सभी उपनिदेशक (राजभाषा), पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी एवं उत्तरी अंचल ।

विषय:- 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2011 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन - केन्द्रीय भविष्य निधि महोदय की अपील ।

महोदय,

दिनांक 14 सितम्बर, 2011 से 28 सितम्बर, 2011 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में, मुझे केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय की अपील भेजने का निदेश हुआ है । आप सभी से अनुरोध है कि इस अपील को अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में आवश्यक कार्रवाई एवं मार्ग दर्शन हेतु परिचालित करें ।

भवदीया,

संलग्न: उपर्युक्त

(वीणा यादव)
सहायक निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी ।
2. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी अंचल ।
3. सभी आंतरिक लेखा परीक्षा अल ।
4. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव ।
5. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) को वैबसाइट पर अपलोड़ करने के अनुरोध के साथ प्रेषित ।

समीरेन्द्र चटर्जी, भा.प्र.से.
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

S. Chatterjee, IAS
Central Provident Fund Commissioner

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम मन्त्रालय, भारत सरकार)
मुख्य कार्यालय : भविष्य निधि भवन,
14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
दूरभाष : 011-26172671, फैक्स : 011-26189910
Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour, Govt. of India)
Head Office : Bhavishya Nidhi Bhawan,
14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110 066
Phone : 011-26172671, Fax : 011-26189910

हि.अ/8(7)11/हिंदी पखवाड़ा 3190
दिनांक:- 12 सितम्बर SEP 2011

अपील

हिंदी एक सरल, समृद्ध एवं सशक्त भाषा है । हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर, 1949 में, हिंदी भाषा के प्रसार और संपन्नता को देखते हुए, इसे संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था । तभी से प्रतिवर्ष इस दिवस की स्मृति में 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाये जाने की परंपरा का आरंभ हुआ । राजभाषा नीति भी हिंदी भाषा के सरल बोलचाल की भाषा के स्वरूप को प्रोत्साहित करती है । सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार इस वर्ष 14 सितंबर से 28 सितंबर तक संगठन के सभी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है । इस अवसर पर मेरी ओर से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं ।

इस अवसर पर कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान अपने कार्यालयों की विशिष्ट परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आयोजन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक गतिविधियों पर विचार करें ताकि इन कार्यक्रमों में नवीनता लाई जा सके और राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में सभी कर्मचारियों/अधिकारियों तक सकारात्मक संदेश पहुँचाया जा सके । इस संबंध में निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई करने पर विचार किया जाए :

(1) विभागीय गतिविधियों की समीक्षा, बैठकों की एजेंडा सूची में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के 'स्टेटस' की समीक्षा को एक स्थायी मद बनाया जाए । इससे राजभाषा प्रचलन की स्थिति में सुधार होगा।

(ii) विभागीय बैठकों में यथासंभव/यथासाध्य सरल और बोलचाल की हिंदी भाषा मे संवाद करें । इससे हिंदी के पक्ष में अनुकूल वातावरण बनाने में बहुत सहायता मिलेगी ।

(iii) हिंदी के प्रभावी प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि आपके कार्यालय में उपलब्ध सभी कंप्यूटर यूनिकोड समर्थित हों ।

(iv) संगठन के अधिकारियों और कर्मियों मे हिंदी भाषा के प्रयोग हेतु आत्म - विश्वास और रूझान बढ़ाने के लिए उन्हें हिंदी भाषा, टंकण, आशुलिपि और हिंदी में आई.टी.टूल्ज के प्रयोग के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कैलेंडर बनवाया जाए ताकि प्रशिक्षण हेतु शेष कर्मियों को प्रशिक्षण दिलवाया जा सके ।

(v) संगठन की विभिन्न योजनओं की जानकारी देने तथा सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वेबसाइट एक सशक्त माध्यम है । वेबसाइट का अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी होना आवश्यक है । अत: कार्यालय की वेबसाइट को संपूर्ण द्विभाषी बनाया जाए ।

(vi) संगठन के कार्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को भी द्विभाषी बनाने के प्रयास किए जाएं जिससे आम जन इनका प्रयोग सुगमता से कर सकें ।

(vii) अपने क्षेत्र की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकों में अधिकारियों को नियमित सहभागिता तथा शासकीय कार्यो में राजभाषा हिंदी के अधिक प्रयोग के निर्देश दें ।

आइए, हम सब मिलकर राजभाषा हिंदी के प्रचार - प्रसार के लिए संकल्प करें । इस अवसर पर, मैं संगठन के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से इस आयोजन को सफल बनाने की अपील करता हूं और आशा करता हूँ कि आप सभी हिंदी में काम करने के प्रयासों को निरंतर जारी रखेंगे ।

समीर चेटर्जी 12/9/11

(समीरेन्द्र चटर्जी)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

प्रति,
संगठन के सभी अधिकारी व कर्मचारी - गण ।
संगठन की वैबसाइट के माध्यम से